दिनांक 06-01-2015 को मो0 खुर्शीद आलम अंसारी, वि0प्र0से0, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा द्वारा अंचल सिंहेश्वर के हल्का सं0-07 के राजस्व कार्यो की अभिलिखित समीक्षात्मक टिप्पणी

01. सामान्य परिचय :-

गौरीपुर मौजा अन्तर्गत सिंहेश्वर मुख्यालय का हल्का सं0-07 अवस्थित है, जिसमें 07 राजस्व मौजा एवं 04 पंचायत है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	कुल खेसरा	रकवा	पंचायत का नाम
01	गौरीपुर	203	970	411.11	गौरीपुर
02	सिंहेश्वर	21	934	311.11	सिंहेश्वर
03	रामपट्टी	20	1890	969.38	सिंहेश्वर
04	पटोरी	205	4526	2330.42	पटोरी
05	लालपुर	208	4585	1515.89	लालपुर सरोपट्टी
06	सरोपट्टी	204	1241	650.59	लालपुर सरोपट्टी
07	गुरूतारा	209	541	271.55	लालपुर सरोपट्टी
	कुल योग :-	-	-	6460.05	

02. प्रभार :-

श्री अभिमन्यु प्रसाद यादव, राजस्व कर्मचारी दिनांक 22.09.2013 से इस हल्का के प्रभार में हैं। इसके पूर्व ललन ठाकुर, राजस्व कर्मचारी प्रभार में थे।

03. बंध पत्र एवं जमानत की राशि :-

हल्का कर्मचारी द्वारा बंध पत्र जमा नहीं किया गया है। निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर बंध पत्र अंचल कार्यालय में जमा करें।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर/ अंचल निरीक्षक, सिंहेश्वर)

04. मांग एवं वसूली :-

मांग एवं वसूली पंजी वर्ष 2002-03 से वर्षवार संधारित है। वर्ष 2010-11 में इस हल्के की मांग 1,28,036.30 रूपये था। वर्ष 2012 में यह मांग बढ़कर 547516.00 रू0 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6,40,083.60 रू0 है, जिसके विरूद्ध अद्यतन वसूली प्रतिवेदन के अनुसार 3,76,159.00 (59%) दर्शायी गई है। राजस्व कर्मचारी ने बताया कि वसूल की गई राशि अंचल नजारत में जमा है।

बड़े बकायादारों की सूची के संबंध में जब पूछा गया तो हल्का कर्मचारी ने बताया कि बड़े बकायादारों की सूची संधारित नहीं है। चूँकि प्रत्येक वर्ष 2013-14 में सूली 100% हो गई थी। इस वर्ष भी वसूली 100% होने की संभावना है। इसलिए बड़े बकायादारों की सूची बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

05. पंजी 3ए एवं 3एए :-

पंजी 3ए एवं 3एए का अवलोकन किया जो अद्यतन संधारित पाया गया। अंचल निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया हुआ है। माह दिसम्बर 2014 तक वसूली की गई राशि अंचल नजारत में जमा कर दी गयी है।

06. लगान रसीद भंडार पंजी :-

वर्ष 2014-15 में कुल 25 लगान रसीद की नई जिल्दे प्राप्त हुई हैं एवं 04 पुरानी जिल्दों को पुनर्जीवित कराया गया है। इस प्रकार कुल 29 जिल्दें उपलब्ध है। उपलब्ध जिल्द में से 28 व्यवहृत हो चुका है एवं एक मात्र जिल्द लगान रसीद की बची हुई है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि लगान रसीद के अभाव में राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी)

07. <u>दाखिल–खारिज</u> :–

दाखिल–खारिज के संबंध में राजस्व कर्मचारी ने बताया कि वर्ष 2014–15 में कुल 412 वादों का निष्पादन किया गया है। परन्तु जब उनसे पूछा गया कि इन सभी निष्पादित वादों में निर्गत शुद्धि पत्र रैयतों को हस्तगत कराकर उनका हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान लिया गया है, तो उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया। जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा हल्का स्तर पर संधारित शुद्धि पत्र की रक्षी संचिका का अवलोकन किया गया तो उसमें अधिकांश शुद्धि पत्र सटे हुए पाए गए, परन्तु किसी भी शुद्धि पत्र पर रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान पावती के रूप में नहीं पाया गया। साथ ही राजस्व कर्मचारी से पूछा गया कि इन 412 निष्पादित मामलों का इन्द्राज पंजी–2 में करते हुए क्या सभी संबंधित रैयतों को माल–गुजारी रसीद निर्गत कर दी गई है? क्या वास्तव में जमाबंदी कायम कर दी गई है ? तो इस संबंध में भी श्री अभिमन्यु प्रसाद यादव, हल्का कर्मचारी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। साक्ष्य के रूप में पंजी–2 में इन्द्राज भी किया हुआ नहीं दिखाया गया।

शुद्धि पत्र की रक्षी संचिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी संख्या शुद्धि पत्र की कार्यालय प्रति में दर्ज नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़ी संख्या में दाखिल–खारिज के निष्पादित मामलों में भी तदनुसार शुद्धि पत्र रैयतों को प्राप्त कराकर पावती नहीं लेना एवं पंजी–2 में इन्द्राज नहीं करना राजस्व नियमों का खुला उल्लंघन है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी श्री अभिमन्यु प्रसाद यादव को निदेश दिया गया कि समीक्षात्मक टिप्पणी प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर स्थिति स्पष्ट करें एवं साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दें। क्यों नहीं राजस्व नामान्तरण मामले में व्यापक पैमाने पर बरती गई अनियमितता के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा समाहर्त्ता महोदय से की जाय ?

निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी उक्त मामले की गहन जाँच कर लें एवं श्री यादव के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप पत्र गठित कर अपनी अनुशंसा के साथ आरोप पत्र जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी/ राजस्व कर्मचारी)

08. <u>खास महाल</u> :–

हल्का कर्मचारी द्वारा बताया गया कि इस हल्का में खास महाल की जमीन उपलब्ध नहीं है। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया गया कि पुराने खतियानों से इसकी पुनः जाँच कर लें एवं इस संबंध में आश्वस्त हो लें।

09. <u>भू–हदबंदी</u> :–

भू–हदबंदी पंजी संधारित है। इस हल्का में कुल 36.37 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसे 48 अनुसूचित जाति परिवारों के बीच वितरण किया गया है। सभी लाभुक वितरित भूमि पर दखलकार हैं ऐसा बताया गया। मात्र दखल–कब्जा के विन्दु पर एक मामला विवादित बताया गया। निदेश दिया गया कि उक्त विवादित मामले का शीघ्र ही निपटारा किया जाय।

10. <u>भू–बन्दोवस्ती</u> :–

भू–बन्दोवस्ती पंजी संधारित है। इस हल्का में गैर मजरूआ खास 205.98 एकड़ एवं 147.10 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार उपलब्ध हैं। इनमें से 3.70 एकड़ गैर मजरूआ खास एवं 2.22 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि का वितरण किया गया है। हल्का कर्मचारी द्वारा बताया गया कि गैर मजरूआ खास की अधिकांश भूमि विवादित है तथा दफा 106 में कई वाद चल रहे हैं। फलस्वरूप वितरण में वैधानिक अड़चन उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें की दफा 106 के तहत वर्त्तमान में वाद स्वीकार्य होने का क्या औचित्य है।

(अनुपालन – अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक/हल्का कर्मचारी)

11. <u>बासगीत पर्चा</u> :-

इस हल्का में अब तक 410 अनु0 जाति, 108 पिछड़ी जाति एवं 08 सामान्य जाति कुल 526 प्रश्रय प्राप्त रैयतों को बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है। बताया गया कि सभी लाभार्थियों के नाम से जमाबंदी भी कायम किया जा चुका है।

12. <u>भूदान</u> :-

हल्का कर्मचारी द्वारा बताया गया कि इस हल्का में 7.81 एकड़ जमीन 17 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। यह भी बताया गया कि इस हल्का में इससे अतिरिक्त भूदान की भूमि नहीं है। बेदखली का भी कोई मामला नहीं है।

13. <u>सैरात</u> :-

इस हल्का में 06 सैरात हैं, जिसमें 01 सिंहेश्वर मेला फरवरी श्रेणी का है एवं शेष 05 सैरात अप्रैल श्रेणी का है। उक्त सैरातों में से 03 सैरात जो परता घोषित है, को सैरात की सूची से हटाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस हल्का में सैरात पंजी संधारित नहीं है। निदेश दिया गया कि सभी सैरातों से संबंधित पंजी संधारित की जाय एवं उसमें सभी विवरण दर्ज किया जाय ताकि एक झलक में सैरात के वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके।

(अनुपालन - अंचल अधिकारी/ अंचल निरीक्षक/ हल्का कर्मचारी)

<u>निष्कर्ष</u> :- इस हल्के में संधारित शुद्धि पत्र पंजी में 159 निर्गत शुद्धि पत्रों के बिरूद्ध रैयतों की जमाबंदी कायम अबतक नहीं की गयी है, जो घोर अनियमितता एवं रा0 कर्मचारी श्री यादव के संदेहास्पद कार्यकलाप का द्योतक है। इस बिन्दु पर रा0 कर्मचारी सहित अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी अपना-अपना स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी संख्या में जमावंदी कायम करने का मामला किस मंशा से लंबित रखा गया है?

(अनुपालन - अंचल अधिकारी/ अंचल निरीक्षक/ हल्का कर्मचारी)

ह0/-
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 60-2 /रा0,दिनांक 14/01/2015 /

प्रतिलिपि :- श्री अभिमन्यु प्र0 यादव, राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0-07 अंचल कार्यालय,सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,मधेपुरा / जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त पत्र को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय।

14/01/15
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा,
मधेपुरा।